

सुगम्य भारत अभियान

प्रलम्बिस के लयि:

सुगम्य भारत अभयान, वकिलांग वयकृतयिं के लयि सरकार की पहल

मेन्स के लयि:

सुगम्य भारत अभयान का प्रदर्शन, संबंघति पहल

चर्चा में क्यौं?

सुगम्य भारत अभयान (Accessible Indian Campaign- AIC) दसिंबर 2022 में 7 साल पूरे करने जा रहा है।

- अभयान का उद्देश्य पूरे देश में दवियांगजनौं ([वकिलांग वयकृतयिं - PwDs](#)) के लयि बाधा मुक्त और अनुकूल वातावरण बनाना है।



The infographic features a grid of six images illustrating accessibility: ramps in public places, accessible transport (a person in a wheelchair on a bus), tactile flooring in public places, accessible information communication technology (a person using a computer), Braille signage for visually impaired (a hand pointing to a Braille sign), and sign language for hearing impaired (two people communicating via sign language). To the right is the 'Accessible India Campaign' logo with the tagline 'Accessible India - Empowered India'. Below the logo is a large orange box with the text: 'Creating a barrier-free environment to ensure equal opportunities for Persons with Disabilities'. At the bottom right, it lists the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India, along with website addresses: www.disabilityaffairs.gov.in, www.socialjustice.nic.in, www.pmindia.gov.in, and www.mygov.nic.in. The Indian national emblem and the motto 'Satyameva Jayate' are also present.

सुगम्य भारत अभयान:

- परचय:
 - इसे 3 दसिंबर, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय दवियांगजन दविस पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च कयिा गया था।
- कार्यान्वयन एजेंसी:
 - AIC सामाजकि न्याय और अधिकारति मंत्रालय के दवियांगजन अधिकारति वभिाग (DEPwD) का राष्ट्रव्यापी अभयान है।
- पृष्ठभूमि:
 - दवियांगजन (समान अवसर, अधिकारौं का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधनियिम, 1995 स्पष्ट रूप से परविहन एवं नरिमति वातावरण में गैर-भेदभाव का प्रावधान करता है।

- यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 [ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन \(UNCRPD\)](#) का अनुपालन करने के लिये पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 को प्रतस्थापित किया।
- यूएनसीआरपीडी जिसका भारत एक हस्ताक्षरकर्त्ता है, के अनुच्छेद 9 के अंतर्गत पीडब्ल्यूडी की पहुँच सुनिश्चित करने के लिये सरकारों पर दायित्व डालता है:
 - सूचना
 - परविहन
 - भौतिक वातावरण
 - संचार प्रौद्योगिकी
 - सेवाओं के साथ-साथ आपातकालीन सेवाओं तक पहुँच।
- **एआईसी के घटक:**
 - नरिमति पर्यावरण पहुँच
 - परविहन प्रणाली अभिगम्यता
 - सूचना और संचार इको-सिस्टम पहुँच

सुगम्य भारत अभियान का प्रदर्शन:

- **नरिमति वातावरण:**
 - 1671 भवनों की अभिगम लेखा परीक्षा पूरी।
 - केंद्र सरकार के 1030 भवनों सहित 1630 सरकारी भवनों को सुलभता की विशेषताएं प्रदान की गई हैं।
- **परविहन कषेत्र:**
- **हवाई अड्डा:**
 - 35 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और 55 घरेलू हवाई अड्डों को पहुँच की विशेषताएं प्रदान की गई हैं।
 - 12 हवाई अड्डों पर एम्बुलफिट उपलब्ध हैं।
- **रेलवे:**
 - सभी 709 ए1, ए और बी श्रेणी के रेलवे स्टेशनों को सात अल्पकालिक सुविधाएँ प्रदान की गई हैं।
 - 603 रेलवे स्टेशनों को 2 दीर्घकालिक सुविधाएँ प्रदान की गई हैं।
- **रोडवेज:**
 - 1,45,747 (29.05%) बसों को आंशिक रूप से सुलभ बनाया गया है और 8,695 (5.73%) को पूरी तरह से सुलभ बनाया गया है।
- **आईसीटी पारस्थितिकी तंत्र (वेबसाइट):**
 - केंद्र और राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों की **लगभग 627 वेबसाइटों** को सुलभ बनाया गया है।
- **टीवी देखने में सुगमता:**
 - 19 नजी समाचार चैनल आंशिक रूप से सुलभ समाचार बुलेटिनों का प्रसारण कर रहे हैं।
 - **2,447 समाचार बुलेटिनों का प्रसारण सबटाइटलिंग/साइन-लैंग्वेज इंटरऑपरेशन के साथ किया गया है।**
 - 9 सामान्य मनोरंजन चैनलों ने सबटाइटलिंग का उपयोग करके 3686 अनुसूचित कार्यक्रमों / फिलिमों का प्रसारण किया है।
- **शिक्षा:**
 - 11,68,292 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में से, 8,33,703 स्कूलों (71%) को रैंप, हैंडरेल और सुलभ शौचालयों के प्रावधान के साथ मुक्त बनाया गया है।
- **नगिरानी:**
 - सुगम्य भारत अभियान के तहत गतिविधियों की नगिरानी **प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS)** पोर्टल के माध्यम से की जा रही है।
- **सुगम्य भारत [?/?]:**
 - बुनियादी ढाँचे और सेवाओं में ज़मीनी स्तर पर सामना की जा रही पहुँच की शिकायतों को क्राउडसोर्स करने में मदद करना और नविवरण के लिये अग्रगण्य करना।
 - संसाधनों तक पहुँच वाले महत्त्व के बारे में संवेदीकरण और जागरूकता पैदा करने में सहायता करना।
 - दवियांगजनों की कोवडि-19 से संबंधित शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

विकलांगों के सशक्तीकरण के लिये पहलें:

- **भारतीय:**
 - [वशिष्ट नःशकृता पहचान पोर्टल \(Unique Disability Identification Portal\)](#)
 - [दीनदयाल दवियांग पुनरवास योजना \(DeenDayal Disabled Rehabilitation Scheme\)](#)
 - [सहायक उपकरणों की खरीद/फटिगि के लिये विकलांग व्यक्तियों को सहायता](#)
 - [विकलांग छात्रों के लिये राषट्रीय फ़ैलोशिप](#)
- **वैश्वकि:**
 - [अंतरराषट्रीय दवियांगजन दविस](#)
 - विकलांग लोगों के लिये संयुक्त राषट्र के सदिधांत

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्र. क्या दवियांगजन अधकार अधनियिम, 2016 समाज में इच्छति लाभार्थरियों के सशक्तीकरण और समावेशन के लये प्रभावी तंत्र सुनश्चिति करता है? वचिर-वमिरश कीजये। (2017)

स्रोत:पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/sugamya-bharat-abhiyan>

